न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/285

1. रामगोपाल पुत्र देवकरण जाति गुर्जर
2. रामप्रताप पुत्र देवकरण जाति गुर्जर
3. रामकुंवार पुत्र देवकरण जाति गुर्जर
4. राधेश्याम पुत्र देवकरण जाति गुर्जर

निवासीगण ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

——अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश पुत्र हरजी जाति गुर्जर
2. रिन्कू पुत्र नन्द किशोर जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :–

1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 31.10.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा जिला कोटा द्वारा वाद संख्या 14/2025 (जीसीएमएस 2025/19) में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2025 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय में कथन किया कि वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 565 रकबा 0.16 हैक्टर खसरा नम्बर 566 रकबा 0.13 हैक्टर कुल 2 किता की 0.29 हैक्टर आराजी स्थित है। वादीगण गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है, जो काश्तकारी एवं पशुपालन कर अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है।

प्रतिवादी ताकतवर व प्रभावशाली व्यक्ति है । वादीगण की उक्त आराजी पर दीपावली वर्ष 2024 के समय प्रतिवादीगण द्वारा एक राय होकर जबरन कब्जा कर लिया तथा वादीगण द्वारा कब्जा छोडने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा छोडने से इंकार कर दिया और धमकी दी कि दुबारा से कब्जा छोडने के लिये कहा तो अच्छा नहीं होगा। प्रतिवादीगण की धमकी पर वादीगण द्वारा थाना केथून मे शिकायत की गयी । वाद कारण अन्तिम बार दिनांक 15.12.24 को वादीगण की शिकायत पर प्रतिवादीगण द्वारा पुलिस के समक्ष कब्जा छोडने से इंकार कर देने पर उत्पन्न हुआ। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री कर ग्राम बनियानी स्थित खसरा नम्बर 565 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 566 रकबा 0.13 हैक्टर, कुल 2 किता की 0.29 हैक्टर पर से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण को कब्जा प्रदान किया जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमायें जावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2025 के द्वारा वादीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र अस्वीकार करते हुए खारिज करने का आदेश पारित किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 30.06.2025 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपील अन्दर मियाद पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। सम्मन नोटिस रेस्पोडण्ट 01 व 02 जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट कम 01 व 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी एकपक्षीय बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। वादीगण अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा में वाद पेश किया गया जिसमें माननीय अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के खातेदारी की ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 565 रकबा 0.16 हैक्टर खसरा नम्बर 566 रकबा 0.13 हैक्टर कुल 2 किता की 0.29 हैक्टर आराजी स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर दीपावली वर्ष 2024 के समय रेस्पोडेन्ट के द्वारा जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लिया और कब्जा छोडने से मना कर दिया। जिससे वाद का कारण उत्पन हुआ तथा वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध बेदखली का वाद प्रस्तुत किया। अपीलांट उक्त वर्णित आराजी का एक मात्र खातेदार है। रेस्पोडेण्ट को ताकत के बल पर अपीलांट की आराजी पर कब्जा रखने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर

प्रदान नहीं किया और वाद का रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद भी अपीलांट का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र खारिज कर दिया गया। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2025 को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में प्रार्थी अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि वादीगण के खातेदारी की ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 565 रकबा 0.16 हैक्टर खसरा नम्बर 566 रकबा 0.13 हैक्टर कुल 2 किता की 0.29 हैक्टर आराजी स्थित है। वादी अपीलांट उक्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। वादीगण अपीलांट ने उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण को कब्जा प्रदान किया जाने तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमायें जाने का वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2071–2074 के अनुसार वाके ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खाता संख्या नया 341 (खाता सं0 पुराना 288) मय खसरा नम्बर 565 रकबा 0.1600 है0 तथा 566 रकबा 0.1300 है0 राधेश्याम, रामकुवांर, रामगोपाल एवं रामप्रताप पुत्र देवकरण जाति गुर्जर प्रत्येक का हिस्सा 1/4 दर्ज होना अंकित है, जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के साथ संलग्न दस्तावेज से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा प्रतिवादी रेस्पोडेन्टगण को दिनांक 11.02.2025 को सम्मन जारी किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की आदेशिका दिनांक 21.03.2025 में वादी द्वारा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को जारी उक्त सम्मनों की डाक रशीदें मय ट्रेक रिर्पोट पेश होना अंकित है। उक्त संलग्न ट्रेक रिर्पोट के अनुसार सम्मनों के प्रोपर तामिल होना पाया गया है। सम्मनों के प्रोपर तामिल होने के उपरांत भी प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए । ना ही कोई जवाब दावा पेश किया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण से जवाब दावा लिये बिना एंव तनकीयात कायम किये बिना ही वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया गया है, जो सीपीसी आदेश 20 नियम 5 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को साक्ष्य एवं सुनवाई को समुचित अवसर दिये जाने के निदेशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण परीक्षण न्यायालय को

प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वादी अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सीपीसी के आदेश 20 नियम 05 की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। उभपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे परीक्षण न्यायालय में दिनांक 10.12.2025 को स्वंय उपस्थित हों । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/X/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा